तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3830/2003/भरतपुर कैलाशी बनाम पंखो	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थित–

श्री उमेश कुमार , अधिवक्ता प्रार्थी

श्री अमन झंवर, अभिभाषक अप्रार्थीगण

श्री पुष्पेन्द्र सिंह रावत, ब्रीफ होल्डर श्री अजीत सिंह राठौड़ अभिभाषक अप्रार्थी ।

निर्णय

दिनांक 1–2–2023

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत सहायक कलेक्टर, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15–7–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

आलोच्य आदेशानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 14 सिविल प्रक्रिया संहिता को स्वीकार किया है ।

2– हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

3– योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अप्रार्थी/वादी ने विचारण न्यायालय के समक्ष एक वाद प्रार्थी/प्रतिवादी के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 53 एवं 188 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। उक्त वाद के लम्बित रहते अप्रार्थी/वादी की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 14 सीपीसी कर सिविल न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की नकलें रिकार्ड पर लेने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना–पत्र का जबाव प्रार्थी ने प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रस्तुत प्रलेख की जानकारी अप्रार्थी/वादीगण को पूर्व से ही थी। ये नकलें पूर्व में प्रस्तुत नहीं करने का कोई समुचित कारण नहीं दिया एवं प्रस्तुत प्रलेख इस प्रकरण से संबंधित नहीं है न वर्तमान मुकदमें में पक्षकार हैं। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र विलम्ब से पेश किया गया है एवं दावा व उसके साथ प्रस्तुत वाली आदेश 7 नियम 14 की लिस्ट में भी हवाला नहीं दिया प्रकरण में तनकी नंबर 7 झूंठी है । अतः प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे। । सहायक कलेक्टर, भरतपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 15–7–2003 से अप्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3830/2003/भरतपुर कैलाशी बनाम पंखो	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कर लिया एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी भी स्वीकार किया था । विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । उनका कथन है कि प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा कानूनी त्रुटि कारित की गई है ।क्योंकि प्रकरण में तनकियात कायम हो चुकी थी एवं जो दस्तावेज पेश किए गए है, वह सिविल न्यायालय एवं फौजदारी न्यायालय से संबंधित हैं। जिसका इस वाद से कोई संबंध नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक तरफ तो दस्तावेज रिकार्ड पर लिए है, दूसरी तरफ यह भी निर्णय में लिखा है कि वरवक्त प्रार्थी एतराज कर सकता है । इस प्रकार उक्त मत पूर्णतया अविधिक है । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नहीं है । अतः निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 15–7–2003 को अंशतः प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 14 सीपीसी की हद तक खारिज किया जावे। **4–** अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के अनुरूप है । उनका कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा अप्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 14 सिविल प्रक्रिया संहिता को पूर्ण विवेचन करने के उपरान्त ही स्वीकार किया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अतः निगरानी खारिज की जावे । 5– हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। 6– हस्तगत प्रकरण में आदेश 7 नियम 14 सीपीसी के प्रावधान निम्नानुसार है– **14. Production of document on which plaintiff sues—** (1) Where a plaintiff sues upon a document in his possession or power, he shall produce it in Court when the plaint is pResented, and shall at the same time deliver the document or a copy thereof to be filed with the plaint. (2) Where any such document is not in the possession or power of the plaintiff, he shall, wherever possible, state in whose possession or power it is. (3) A document which oughat to be produced in Court by the plaintiff when the plaint is pResented, or to be entered in the list to be added or annexed to the plaint but is not produced or entered accordingly, shall not without the leave of the Court, be received in evidence on his behalf at the hearing of the suit.	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3830/2003/भरतपुर कैलाशी बनाम पंखो	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	(4) Nothing in this rule shall apply to document produced for the cross examination of the plaintiff's witnesses, or handed over to a witness merely to refeResh his memory. हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी/वादी द्वारा आदेश 7 नियम 14 सीपीसी के माध्यम से जिला एवं सेशन न्यायाधीश प्रथम भरतपुर का निर्णय दिनांक 22–11–2000 एवं माननीय उच्च न्यायालय की नकल आर्डरशीट दिनांक 10–4–2001 प्रस्तुत किए है । उक्त दस्तावेज प्रमाणित प्रतिलिपियां एवं लोक दस्तावेज है जिनको रिकार्ड पर लिए जाने से किसी प्रकार का सन्देह उत्पन्न नहीं होता है एवं न ही इन दस्तावेजों को रिकार्ड पर लेने से कोई विपरीत प्रभाव पडता है बल्कि न्याय निर्णयन में सहायता होगी । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किए जाने में किसीप्रकार की त्रुटि कारित नहीं की है बल्कि यह भी उन्होंने निर्णय में लिखा है कि यदि प्रार्थी को इन दस्तावेजों बाबत कोई प्रासंगिकता एवं प्रभाव बाबत कोई आपत्ति हो तो वह अंतिम बहस में कर सकते है । यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 230 के तहत प्रस्तुत की गई है। धारा 230 मूलतः इस प्रकार है– 230- Power of the Board to call for cases- The Board may call for the record of any cases decided by any subordinate revenue court in which no appeal lies either to the Board or to a civil court under section 239 and if such court appears- (a) to have exercised jurisdictions not vested in it by law:or (b) to have failed to exercise jurisdictions so vested :or (c) to have acted in the exercise of its jurisdictions illegally or with material irregularity. Board may pass such orders in the cases as it thinks fit. उक्त धारा में यह प्रावधित किया है कि जब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई अधिकारिता संबंधी या प्रक्रिया संबंधी गलती की जाती है या जब उपलब्ध सभी उपचार समाप्त हो जावे, तभी पुनरीक्षण किया जा सकता है। इसमें केवल यही देखना होता है कि अधीन न्यायालय ने न्यायिक अधिकारिता के बाहर जाकर कार्य किया है या प्रक्रिया के पालन में गलतियॉ की है। उक्त प्रावधानों के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हमें कोई तथ्यात्मक या क्षेत्राधिकारिता संबंधी कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। इसमें निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः निगरानी निरस्त योग्य है ।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3830/2003/भरतपुर कैलाशी बनाम पंखो	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उक्त विवेचन के आधार पर निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है । चूंकि प्रकरण वर्ष 2003 से लम्बित है । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिए जाते है कि वे प्रकरण का निस्तारण आगामी तीन माह में किया जाना सुनिश्चित करें । उभय पक्षकारान दिनांक. 28–2–2023 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों । 8– उक्त विवेचन के आधार पर निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की नियमानुसार प्रति के साथ भिजवाया जावे । पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो । निर्णय खुलें न्यायालय में सुनाया गया । (डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर) सदस्य	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3830/2003/भरतपुर कैलाशी बनाम पंखो	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए